न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

विनोद कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा आयु 56 साल जाति ब्राह्मण निवासी डाक्टरनी की गली, करौली तहसील व जिला करौली (राज0) — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय न्यायालय तहसीलदार करौली उनवानी मुकदमा राजस्थान सरकार बनाम सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग करौली मुकदमा नं. 294 / 18 निर्णय दिनांक 12.11.2018 जिसके अनुसार अपीलाण्ट प्रार्थी को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत बेदखल किये जाने एवं 95 रूपयें की शास्ती से सजायाब किया गया एवं 90(ए) एवं धारा 177 आर. टी.एक्ट के तहत चार लाख सैंतीस हजार चौरानवें रूपये की मांग कायम की गई है एवं निर्माण नष्ट करने के आदेश किये गये है।

निर्णय दिनांक 04.12.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश पर आराजी खसरा नं. 5403 रकबा 03 विस्वा बाके पटवार हल्का 9 कस्बा करौली का मौका देखा जाने पर सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, करौली को लगभग 30 वर्ष पूर्व आवंटित भूमि पर अपीलार्थी व श्रीमती सुनीता पत्नि अशोक, श्रीमती माया पत्नि राधेश्याम जाति महाजन निवासी करौली द्वारा उक्त खसरा में अतिक्रमण कर निर्माण करने एवं खसरा नं. 5404 की खातेदारी में स्थित कृषि भूमि में बिना संपरिवर्तन करवाये 12 फीट मिट्टी की खुदाई करवाकर पिलर बनाकर निर्माण कार्य करवाने पर अपीलार्थी व अन्य अतिक्रमियों के विरुद्ध बेदखली, निर्माण ध्वस्त करने, शास्ति 95 रुपये एवं आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत 437094 रुपये की मांग कायमी करने का आदेश तहसीलदार करौली द्वारा दिनांक 12.11.2018 को पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय माननीय मातहत अदालत आरविट्रेरी, परवर्स एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निर्णय माननीय मातहत अदालत निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय मातहत अदालत द्वारा कानूनी प्रावधानों की अवहेलना कर प्रार्थी अपीलाण्ट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही कर अपीलाण्ट को समुचित सुनबाई का अवसर दिये बिना इकतरफा आरविट्रेरी ऑर्डर पास किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार गैरसायल को सर्वप्रथम असालतन तामील न हो तो उसके बाद चस्पानगी में तामील कराया जाना उचित होता है। माननीय मातहत अदालत को सर्वप्रथम चस्पानगी से तामील कराकर और उसे पर्याप्त तामील मानकर विधि की भूल की है इसलिये अपीलाण्ट को उचित सुनवाई का अवसर देने हेतु निर्णय माननीय मातहत अदालत निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलाण्ट ने आराजी खसरा नम्बर 5405 में जरिये

रजिस्टर्ड वयनामा प्लाट क्रय किया है। आराजी खसरा नम्बर 5403 एवं 5404 से अपीलाण्ट का न तो कोई मतलब है न कब्जा है उसके बाद भी प्रार्थी अपीलाण्ट के खिलाफ माननीय मातहत अदालत ने गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। निर्णय माननीय मातहत अदालत निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय मातहत अदालत के निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 03.07.2019 को हुयी उसी दिन प्रार्थी अपीलाण्ट ने नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिसकी नकल दिनांक 05.07.2019 को शाम 5 बजे मिली जानकारी से अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद प्रस्तुत है उसके बाद भी दिनांक 12.11.2018 से दिनांक 05.07.2019 तक के समय को कण्डौन किये जाने के लिये म्याद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अपील के साथ संलग्न किया जा रहा है इसलिये दिनांक 12.11.2018 से 05.07.2019 तक का समय न्यायहित में कण्डौन किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर निर्णय अदालत मातहत निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेशानुसार आराजी खसरा नं. 5403 रकबा 03 विस्वा बाके पटवार हल्का–9 कस्बा करौली का पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक, अधिशाषी अधिकारी नगर परिषद करौली के साथ तहसीलदार करौली द्वारा मौका देखा गया। उक्त खसरा लगभग 30 वर्ष पूर्व सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग करौली को आवंटित हो चुका है। खसरा नं. 5403 रकबा 0.03 विस्वा पर अतिक्रमण कर अपीलाण्ट् व अन्य अतिक्रमियों सुनीता पत्नि अशोक एवं माया पत्नि राधेश्याम जाति महाजन द्वारा पीछे की ओर स्थित अपीलाण्टस की खातेदारी भूमि खसरा नं. 5404 के साथ बिना सम्परिवर्तन कराये ग्राउण्ड तल से लगभग 12 फीट नीचे मिट्टी की खुदाई कर आर.सी.सी. के 17 कॉलम की फाउण्डेशन एवं रेनफोर्समेण्ट का कार्य अनियमित रूप से किये जाने पर निर्माण कार्य को बंद करने एवं बंद रखने बाबत् दिनांक 16.10.2018 को पाबंद किया गया। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग करौली के आवेदन पर दिनांक 26.10.2018 को पुनः पुष्टि सीमा की जांच की गई और पुनः 12.11.2018 को मौके पर अतिक्रमियों द्वारा निर्माण कार्य करना/चालू पाया गया जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। अपीलाण्ट् को बार–बार दिनांक 16.10.2018, 26.10.2018 एवं 12.11.2018 को काम बंद करने एवं बंद रखने बाबत् निर्देशित किया गया परंतु अपीलाण्ट द्वारा कार्य बंद नहीं किया गया जो प्रकरण में अपीलाण्ट को बार–बार सूचित करना दर्शाता है। यही नहीं आज भी जब अपीलाण्ट् द्वारा कार्य बन्द नहीं किया गया है और निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। सम्मन तामील करवाने का एकमात्र उद्देश्य पक्षकार को प्रकरण के बारे में सूचित करना होता है ताकि वह सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख सके। यहां अपीलाण्ट को बार–बार निर्माण कार्य बंद करवाकर भी सूचित किया गया है फिर भी अपीलाण्ट् द्वारा कार्य बंद नहीं किया गया और ना ही अपना पक्ष रखा गया। निर्माण कार्य के चालू रहने के दौरान निर्माण स्थल पर भी सम्मन की चस्पानगी विधि से की गई तामील सी.पी.सी. के नियमों के अनुसार विधिसम्मत् है। इस प्रकार राजकीय भूमि खसरा नं. 5403 पर अतिक्रमण पाये जाने एवं बिना सम्परिवर्तन निर्माण कार्य किये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 16.10.2018 को सीमाज्ञान एवं 26.10.2018 को पुनः पुष्टि सीमा की जांच की गई जिसमें अपीलाण्ट्स द्वारा खसरा नं. 5403 पर अतिक्रमण कर एवं उसके पीछे अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि ख.नं. 5404 पर बिना सम्परिवर्तन निर्माण कार्य किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है।

दिनांक 16.10.2018 एवं 26.10.2018 को अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नं. 5403 पर किये जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाया गया है और अपीलाण्ट को निर्माण कार्य बंद करने एवं बंद रखने बाबत् निर्देशित किया गया है फिर भी अपीलाण्ट द्वारा निर्माण कार्य को बंद नहीं किया गया है। निर्माण कार्य के चालू रहने पर निर्माण स्थल पर अपीलाण्ट के विरुद्ध चस्पानगी विधि से तामील करवाई गई है जो विधिसम्मत् है। अपीलाण्ट को बार–बार निर्माण कार्य बंद करने एवं बंद रखने के आदेश के बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा निर्माण कार्य बंद नहीं करना, अपीलाण्ट द्वारा नियमों की अवहेलना को दर्शाता है। साथ ही अब जब अपीलाण्ट को इस अपील को लेकर इस न्यायालय में आया है तब तक तो अपीलाण्ट को इस प्रकरण, तहसीलदार करौली द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी हो चुकी है फिर भी अपीलाण्ट द्वारा निर्माण कार्य को बंद ना करके निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रखा गया है। इससे भी अपीलाण्ट द्वारा नियमों की अवहेलना किया जाना साफ जाहिर होता है। अतः हम प्रत्यर्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.11.2018 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:12:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: